



## प्रेस विज्ञप्ति

### थाना कोतवाली

### 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक- 06.09.2022 को उ0नि0 धर्मराज यादव मय हमराह द्वारा मु0अ0सं0 109/2022 धारा 306 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त दीपक व अभियुक्ता रेखा को मऊ गेट कचहरी के पास से पकड़ा गया जिसमें से एक ने अपना नाम दीपक कुमार पुत्र लक्ष्मण प्रसाद निवासी ग्राम तिरनई खिजिरपुर थाना उभाँव जनपद बलिया उम्र करीब 24 वर्ष हाल मुकाम म0न0 235 नासिरपुर थाना सिहानीगेट जनपद गाजियाबाद तथा दूसरे ने अपना नाम रेखा पत्नी स्व0 पंकज कुमार पुत्री किशोरीलाल निवासनी ग्राम सेमरा थाना रामनगर जनपद वाराणसी ससुराल का पता ग्राम बाछापार थाना पकड़ी जनपद बलिया बताया तथा रेखा के साथ खुद की लड़की प्लाक्सा थी। उपरोक्त दोनों को कारण गिरफ्तारी बताते हुए नियमानुसार समय करीब 11.00 बजे पुलिस हिरासत में लेकर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 30.3.2022 को वादी आश्रयदास पुत्र स्व0 मुखलाल निवासी बाछापार पकड़ी जनपद बलिया के द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 109/2022 धारा 306 भादवि बनाम 1. रेखा पुत्र किशोरीलाल निवासी सेमरा थाना रामनगर जनपद वाराणसी व एक व्यक्ति अज्ञात की विवेचना उ0नि0 धर्मराज यादव द्वारा की जा रही है।

### पंजीकृत अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0 109/2020 धारा 306 भादवि थाना कोतवाली आजमगढ़

### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1. दीपक कुमार पुत्र लक्ष्मण प्रसाद निवासी ग्राम तिरनई खिजिरपुर थाना उभाँव जनपद बलिया उम्र करीब 24 वर्ष हाल मुकाम म0न0 235 नासिरपुर थाना सिहानीगेट जनपद गाजियाबाद

2. रेखा पत्नी स्व0 पंकज कुमार पुत्री किशोरीलाल निवासनी ग्राम सेमरा थाना रामनगर जनपद वाराणसी ससुराल का पता ग्राम बाछापार थाना पकड़ी जनपद बलिया

### गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाले टीम का विवरण –

उ0नि0 धर्मराज यादव चौकी प्रभारी ब्रह्मस्थान कां0 संजय कुमार गुप्ता म0कां0 अनिता देवी थाना कोतवाली नगर आजमगढ़

### थाना- महाराजगंज

### हत्या के प्रयास में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार

1. पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)– दिनांक 18.03.22 को श्रीमती शीला देवी पत्नी लालमन सा0 जुड़ाखुर्द कोतवाली महाराजगंज जनपद आजमगढ़ थाना स्थानीय पर शिकायत की गयी कि विपक्षी दिलीप ,फूलबदन पुत्रगण सुमेर व राजबली पुत्र पल्टन द्वारा पुराने मुकदमे के विवाद को लेकर वादिनी के पति लालमन व अवधेश पुत्र संतलाल व हिमांशु पुत्र अरविन्द को जान से मारने की नियत से लाठी-डण्डा व लोहे की राड से सिर पर मारना पीटना जिससे वादिनी के पति लालमन का मौके पर बेहोश हो गये तथा बीच बचाव करने आये राकेश को भी मारना पीटना व गाली गुप्ता देना व जान से मारने की धमकी दी गयी, के सम्बन्ध में दाखिल किया,जिस पर मु0अ0सं0 74/2022 धारा 307/308/323,504,506/34 IPC पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

2. गिरफ्तारी की विवरण- आज दि0 09.08.22 उ0नि0 अमरनाथ यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्त दिलीप पुत्र सुमेर सा0 बीबीपुर थाना महाराजगंज आजमगढ़ उम्र 27 वर्ष को समय करीब 08.00 बजे परशुरामपुर बाजार से हिरासत पुलिस मे लिया गया ।

4. पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 74/2022 धारा 307/308/323,504,506/34 IPC थाना महाराजगंज आजमगढ़

5. आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

6. गिरफ्तार अभियुक्त- 1. दिलीप पुत्र सुमेर सा0 बीबीपुर थाना महाराजगंज आजमगढ़

8. गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 अमरनाथ यादव मय हमराह का0 रविकान्त वर्मा व का0 आदित्य कुमार थाना महाराजगंज आजमगढ़

## थाना कन्धरापुर

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त सर्वेश गिरफ्तार, आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज

दिनांक- 05.09.2022 को उ0नि0 अनुज कुमार पाण्डेय मय हमराह द्वारा ग्राम जोलहापुर स्थित पुलिया के पास से खडे ब्यक्ति को पकड़ लिया गया। पकड़े गए ब्यक्ति ने अपना नाम सर्वेश कुमार राय पुत्र कपिलदेव राय निवासी ग्राम जोलहापुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ बताया उसके कब्जे से एक अदद तमंचा 12 बोर का तमंचा व 02 अदद कारतूस 12 बोर बरामद हुआ। अभियुक्त को समय 16.12 बजे हिरासत पुलिस में लेकर मा0 न्यायालय चालान किया गया।

### गिफ्तार अभियुक्त

सर्वेश कुमार राय पुत्र कपिलदेव राय निवासी ग्राम जोलहापुर थाना कन्धरापुर आजमगढ़ उम्र 47 वर्ष

### पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 -221/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट भादवि थाना कन्धरापुर आजमगढ़।

### आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 -42/96 धारा 323/504/506/307 भादवि थाना कन्धरापुर आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 -619/10 धारा 302/34/120(B) भादवि थाना कन्धरापुर आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 -634/11 धारा ¾ गुण्डा एक्ट थाना कन्धरापुर आजमगढ़।
4. मु0अ0सं0 -439/12 धारा 110 G गुण्डा एक्ट थाना कन्धरापुर आजमगढ़।
5. मु0अ0सं0 -32/14 धारा 110 G गुण्डा एक्ट थाना कन्धरापुर आजमगढ़।
6. मु0अ0सं0 -171/14 धारा 302 भादवि थाना गम्भीरपुर आजमगढ़।
7. मु0अ0सं0 -117/19 धारा 323/452/504/506 भादवि थाना कन्धरापुर आजमगढ़।
8. मु0अ0सं0 -52/21 धारा 147/323/504/506 भादवि थाना कन्धरापुर आजमगढ़।
9. मु0अ0सं0 -221/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट भादवि थाना कन्धरापुर आजमगढ़।

### बरामदगी-

एक अदद नाजायज तमंचा 12 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 अनुज कुमार पाण्डेय थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़
2. का0 दिलीप चौधरी थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़
3. का0 अरुण पाण्डेय थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ थानाध्यक्ष